

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 / 19
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक :- 12-2-21
विप्रार्थीगण

मु.न. 489/2016

1 जैन श्वेताम्बर नाकोडा पार्श्वनाथ
तीर्थ, मेवानगर जरिये अध्यक्ष

1 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा
2. श्री आसुसिंह गोदपुत्र श्री लखसिंह जाति राजपुत निवासी
मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

आदेश

दिनांक-12.2.21

उपर्युक्त प्रकरण मौजा मेवानगर पटवार क्षेत्र मेवानगर भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर खसरा न0 243 रकबा 143 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक :- रीडर / 2021 / 20-24

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

(श्री नरेश सोनी)
सहायक पीठासीन अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :- 12-2-21

